उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक A/2020 / जबलपुर, दिनांक 14/09/2020
II-14-28/2020

मध्यप्रदेश सिविल सेवा शर्तें (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 सहपठित उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश सेवा (भर्ती, सेवा की सामान्य शर्तें, आचरण, वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 2017 के नियम 16 (1) के अंतर्गत मैं राजेन्द्र कुमार वाणी, रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर श्री प्रशांत द्विवेदी, डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर के विभागीय जॉच प्रकरण में श्री ए.व्ही मण्डलोई, कंट्रोलर एकांउटस, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर को जॉचकर्ता अधिकारी एवं श्री दिलीप वर्मा, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (जुडि.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त करता हूँ।

11.9.2020
(राजेन्द्र कुमार वाणी)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक A/2021 / जबलपुर, दिनांक 14/09/2020
II-14-28/2020

प्रतिलिपिः–

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर, इंदौर म.प्र.,
2. रजिस्ट्रार प्रशासन/(आई.एल.),उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
3. एस.पी.एस.ए. आई.टी. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश की प्रति उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु,
4. रजिस्ट्रार (एम.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. श्री ए.व्ही मण्डलोई, कंट्रोलर एकांउटस, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर की ओर इस निर्देश के साथ कि वे जांच रिपोर्ट 90 दिवस में प्रस्तुत करें,
6. असिस्टेंट रजिस्ट्रार (स्थापना), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
8. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (स्थापना), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
9. श्री दिलीप वर्मा, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (जुडि.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर, म.प्र.,
10. सहायक स्थापना, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
11. एक अतिरिक्त प्रति स्थापना शाखा, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
12. श्री प्रशांत द्विवेदी, डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर, म.प्र.

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संलग्नः– क्रमांक 5, 6, 9, 10, 11 एवं 12 के लिये आरोपपत्र, अभिकथन का विवरण, दस्तावेजों एवं गवाहों की सूची की प्रतिलिपि।

(श्याम बिहारी वर्मा)
रजिस्ट्रार (इंस्पेक्शन)

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

:: आरोप–पत्र ::

मैं, राजेन्द्र कुमार वाणी, रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, आप श्री प्रशांत द्विवेदी, डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इंदौर पर निम्नलिखित आरोप लगाता हूँ :–

1. यह कि, उच्च न्यायालय म.प्र., खण्डपीठ इंदौर की स्थापना पर कॉज लिस्ट अनुभाग में इंचार्ज–कॉज लिस्ट के पद पर कार्यरत् रहते हुये आपके द्वारा कंटेंप्ट पिटिशन सिविल (CONC) क्र. 2094/2018 (**चेतन्य रियलकॉन प्रायवेट लिमिटेड व अन्य विरुद्ध श्री श्रीकान्त शर्मा**) जो कि **माननीय न्यायाधिपति श्री प्रकाश श्रीवास्तव महोदय एवं माननीय न्यायाधिपति श्री विरेन्दर सिंह महोदय** की युगलपीठ का एक tied-up matter था, को **माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय** के द्वारा अनुमोदित स्पेशल रोस्टर के बिना विभिन्न माननीय न्यायाधिपतियों की युगलपीठ अर्थात् **माननीय न्यायाधिपति श्री प्रकाश श्रीवास्तव महोदय एवं माननीय न्यायाधिपति सुश्री वंदना कसरेकर महोदया** की युगलपीठ के समक्ष डेली कॉज लिस्ट दिनांक 26/07/2019 के सरल क्र. 109 पर लिस्ट कर दिया।

   उच्च न्यायालय के CMIS Software में कॉज लिस्ट सेक्शन हेतु ऐसा प्रावधान किया गया है कि Friday के दिन लिस्ट होने वाले Special Bench Cases को Software में ढूंढ़कर निकाला जा सकता है, जो कि आपका कर्तव्य था, उसके पश्चात् नोटशीट पर प्रस्ताव तैयार कर प्रिंसिपल रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर से **माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय** के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जाना था, परन्तु आपने उक्त प्रक्रिया का पालन न करके उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश नियम 2008 के अध्याय 12 के नियम 17 तथा अध्याय 4 के नियम 22 का उल्लंघन किया।

अतः आपका उपरोक्त वर्णित कृत्य कर्तव्य के प्रति उदासीनता, घोर अनुशासनहीनता एवं कदाचरण की श्रेणी में आकर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम –1965 के नियम 3 के अंतर्गत कदाचार होकर उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश सेवा (भर्ती, सेवा की सामान्य शर्तें, आचरण, वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 2017 के नियम 16, सहपठित मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 10 के अन्तर्गत दण्डनीय है।

(राजेन्द्र कुमार वाणी)
रजिस्ट्रार जनरल

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

:: अभिकथन का विवरण ::

यह कि, आप श्री प्रशांत द्विवेदी, डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इन्दौर की स्थापना पर कॉज लिस्ट अनुभाग में इंचार्ज–कॉज लिस्ट के पद पर कार्यरत् रहते हुये आपके द्वारा कंटेंप्ट पिटिशन सिविल (CONC) क्र. 2094/2018 (चेतन्य रियलकॉन प्रायवेट लिमिटेड व अन्य विरुद्ध श्री श्रीकान्त शर्मा) को गलत सूचीबद्ध करते हुये अन्य बैंच के समक्ष सूचीबद्ध करने के सम्बन्ध में अभिकथन का विवरण निम्नानुसार हैः–

1. यह कि, उच्च न्यायालय म.प्र., खण्डपीठ इंदौर की स्थापना पर कॉज लिस्ट अनुभाग में इंचार्ज–कॉज लिस्ट के पद पर कार्यरत् रहते हुये आपके द्वारा कंटेंप्ट पिटिशन सिविल (CONC) क्र. 2094/2018 **(चेतन्य रियलकॉन प्रायवेट लिमिटेड व अन्य विरुद्ध श्री श्रीकान्त शर्मा)** जो कि **माननीय न्यायाधिपति श्री प्रकाश श्रीवास्तव महोदय एवं माननीय न्यायाधिपति श्री विरेन्दर सिंह महोदय** की युगलपीठ का एक tied-up matter था, को **माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय** के द्वारा अनुमोदित स्पेशल रोस्टर के बिना विभिन्न माननीय न्यायाधिपतियों की युगलपीठ अर्थात् **माननीय न्यायाधिपति श्री प्रकाश श्रीवास्तव महोदय एवं माननीय न्यायाधिपति सुश्री वंदना कसरेकर महोदया** की युगलपीठ के समक्ष डेली कॉज लिस्ट दिनांक 26/07/2019 के सरल क्र. 109 पर लिस्ट कर दिया।

   उच्च न्यायालय के CMIS Software में कॉज लिस्ट सेक्शन हेतु ऐसा प्रावधान किया गया है कि Friday के दिन लिस्ट होने वाले Special Bench Cases को Software में ढूंढ़कर निकाला जा सकता है, जो कि आपका कर्तव्य था, उसके पश्चात् नोटशीट पर प्रस्ताव तैयार कर प्रिंसिपल रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर से **माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय** के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जाना था, परन्तु आपने उक्त प्रक्रिया का पालन न करके उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश नियम 2008 के अध्याय 12 के नियम 17 तथा अध्याय 4 के नियम 22 का उल्लंघन किया।

अतः आपके द्वारा कारित उपरोक्त वर्णित कृत्य घोर अनुशासनहीनता एवं कदाचरण की श्रेणी में आकर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम –1965 के नियम 3 के अंतर्गत कदाचार होकर उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश सेवा (भर्ती, सेवा की सामान्य शर्तें, आचरण, वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 2017 के नियम 16, सहपठित मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 10 के अन्तर्गत दण्डनीय है।

(राजेन्द्र कुमार वाणी)
रजिस्ट्रार जनरल

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

:: दस्तावेजों की सूची ::

1. डेली कॉज लिस्ट दिनांक 26/07/2019 की छायाप्रति जिसके द्वारा कंटेंप्ट पिटिशन सिविल (CONC) क्र. 2094/2018 (चेतन्य रियलकॉन प्रायवेट लिमिटेड व अन्य विरुद्ध श्री श्रीकान्त शर्मा) को **माननीय न्यायाधिपति श्री प्रकाश श्रीवास्तव महोदय एवं माननीय न्यायाधिपति सुश्री वंदना कसरेकर महोदया** की युगलपीठ के समक्ष सरल क्र. 109 पर लिस्ट किया गया था।

2. **माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय** द्वारा अनुमोदित स्पेशल बैंच रोस्टर दिनांक 26/07/2019 (शुक्रवार) जिसमें कंटेंप्ट पिटिशन सिविल (CONC) क्र. 2094/2018 को शामिल नहीं किया गया था, की छायाप्रति।

3. माननीय न्यायालय द्वारा रिव्यू पिटिशन क्र. 1223/2018 में पारित आदेश दिनांक 07/12/2018 की छायाप्रति, जिसके द्वारा कंटेंप्ट पिटिशन सिविल (CONC) क्र. 2094/2018 को रिव्यू पिटिशन क्र. 1223/2018 व अन्य कनेक्टेड रिव्यू पिटिशन के साथ लिस्ट किये जाने बाबत् निर्देशित किया गया था।

4. कंटेंप्ट पिटिशन सिविल (CONC) क्र. 2094/2018 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26/10/2018 की छायाप्रति, जिसके द्वारा उक्त प्रकरण को **माननीय न्यायाधिपति श्री एस.सी. शर्मा महोदय** के समक्ष लिस्ट नहीं किये जाने बाबत् आदेशित किया गया था।

5. कंटेंप्ट पिटिशन सिविल (CONC) क्र. 2094/2018 से संबंधित सीएमआईएस सॉफ्टवेयर की रिपोर्ट की छायाप्रति।

6. कंटेंप्ट पिटिशन सिविल (CONC) क्र. 2094/2018 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21/06/2019 की छायाप्रति।

7. उच्च न्यायालय म.प्र., खण्डपीठ इंदौर के लिये **माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय** द्वारा निर्धारित रोस्टर/नोटिफिकेशन क्र. क्यू/पीआरजे/14, दिनांक 18/07/2019 की छायाप्रति।

8. उच्च न्यायालय म.प्र., मुख्यपीठ जबलपुर द्वारा जारी कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 929/RG/2019, जबलपुर, दिनांक 14/08/2019 की छायाप्रति।

जाँचकर्ता अधिकारी द्वारा जाँच के दौरान अन्य आवश्यक दस्तावेज अभिलेख पर सम्मिलित किये जा सकते हैं।

(राजेन्द्र कुमार वाणी)
रजिस्ट्रार जनरल

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

:: गवाहों की सूची ::

1. श्री जितेन्द्र भदकारे, सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट (एन.सी.टी.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ–इंदौर (म.प्र.)।

2. श्री अवध नारायण गुप्ता, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (जे.) (इंचार्ज–कंटेंप्ट पिटिशन सिविल अनुभाग), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ–इंदौर (म.प्र.)।

3. श्री सुमित अग्रवाल, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट (डिलिंग असिस्टेंट, कंटेंप्ट पिटिशन सिविल अनुभाग), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ–इंदौर (म.प्र.)।

अन्य कोई गवाह जो जांचकर्ता अधिकारी को जांच के दौरान उपयुक्त लगे।

(राजेन्द्र कुमार वाणी)
रजिस्ट्रार जनरल